पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
30/12/25 पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्लावा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 27/2/26 को पेश हो।

.Ju.

27/2/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली प्रार्थना पत्र के बहस वास्ते दिनांक 9/3/26 को पेश हो। B.O.

9/3/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एवं तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी:– प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्याः– 126 / 2025

जीसीएमएस नं. :– 2025 / 267

प्रार्थीः–

अणच कंवर धर्मपत्नी श्री माधो सिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बासनी सेफा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश **दिनांकः–** 9/3/26

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान सिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैराकार।

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि ग्राम बासनी सेफा, पटवार हल्का चावण्डा, भू.अ.नि. केरू तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं 73 में प्रार्थीया की कृषि भूमि किस्म बारानी तृतीया, रकबा 4.8238 हैक्टेयर आई हुई है। जिसमें प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करती आ रही है। प्रार्थी के खसरा संख्या 73 की जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया का नाम जमाबंदी में अनची देवी पत्नी श्री माधोसिंह राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये गये। जिसमें प्रार्थीया का नाम गलती एवं त्रुटि से अनचीदेवी पत्नी माधोसिंह इन्द्राज कर दिया गया जा लिपीकीय त्रुटि है जिसे शुद्व किया जाना आवश्यक है अर्थात् खसरा संख्या 73 में दर्ज है उसे शुद्व किया जाकर अणच कंवर दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा नाम की प्रविष्टि अशुद्ध कर दी गई जिसके कारण अनावश्यक विवाद होने की संभावना है जिसे शुद्ध किया जाकर नाम परिवर्तन किया जाना आवश्यक के लिए प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त भूमि ग्राम बासनी सेफा में स्थित होने से आप श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार का है तथा राजस्व रेकर्ड में त्रुटि एवं सहबन वश अनचीदेवी पत्नी माधोसिंह के नाम के स्थान पर अणच कंवर किया जाना अतिआवश्यक है तथा प्रार्थीया के आधार कार्ड आदि में अणच कंवर दर्ज है। इस कारण वाद उत्पन्न हुआ है तथा इस प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि ग्राम बासनी सेफा, पटवार हल्का चावण्डा, भू.अ.नि. कैरू, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 73 के जमाबंदी में अनचीदेवी पत्नी माधोसिंह के स्थान पर अणच कंवर का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वयं को प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नं. 73 रकबा 4.8238 हैक्टैयर में नामान्तरकरण संख्या 227 बेचान भरते सकमय अनचीदेवी पत्नी माधोसिंह का नाम दर्ज हुआ। वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी में नामान्तकरण अनुसार अनचीदेवी दर्ज है। तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट अनुसार उपस्थित मौतबिरान व ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पाया

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

गया कि अनची देवी व अणच कंवर एक ही व्यक्ति है। अतः अनचीदेवी के स्थान पर अणचकंवर उर्फ अनचीदेवी किया जाना उचित है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र दस्तावेज, उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त अधिनियम में धारा 136 का मुख्य कारण यह है कि राजस्व रेकॉर्ड में लिपिकीय त्रुटीवश गलत नाम दर्ज होने पर उसे शुद्धीकरण किया जा सकता है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी भूमि ग्राम बासनी सेफा, पटवार हल्का चावण्डा, भू.अ.नि. कैरू, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 73 के जमाबंदी में अनचीदेवी पत्नी माधोसिंह के स्थान पर अणच कंवर का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व अन्य राजस्व रेकार्ड सम्बन्धित दस्तावेज में प्रार्थी का नाम अनची देवी पत्नी माधोसिंह के स्थान पर अणच कंवर दस्तावेजो यथा आधार कार्ड इत्यादि अनसुार राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम अनचीदेवी पत्नी माधोसिंह सदभाविक गलती से लिखा गया है जिसके स्थान पर अणच कंवर दर्ज किये जाने बाबत् निवेदन किया गया

हमनें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी कृषि भूमि **ग्राम बासनी सेफा, पटवार हल्का चावण्डा, भू.अ.नि. कैरू, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 73 के जमाबंदी में अनचीदेवी पत्नी माधोसिंह के स्थान पर अणच कंवर का नाम** तहसीलदार जोधपरु को राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 9/3/26 .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)